

# कार्यालय अनुविभागीय आधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन

रा.प्र.क २६ /वी.121/23-24

प्राप्त प्राप्ति

देखिये वियम 3 (4)

:: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति /फर्म/ कंपनी/ शोशार्झी जिसके व्यौरे नीचे दिए गए हैं मध्यप्रदेश पंचायत राज्य उवं थाम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और मध्यप्रदेश थाम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2013 के उपलब्धों के अधीन कालोनार्झिर के स्पष्ट में रजिस्ट्रीकृत हैं अर्थात् -

मां रेवा बिल्डर्स इंड इलेपर्स पार्टनर श्री विष्णु प्रसाद आ० श्री जयराम मारन निवासी बी०उच० 28 सुखालिया जिला इन्दौर उवं श्री अमित नाहर पिता डा० नवीन नाहर निवासी बी०उच० 29 सुखालिया इन्दौर

नगर/कस्या थाम पंचायत - पडोनिया तहसील - गौहरगंज

जिला रायसेन

रजिस्ट्रीकरण के निर्बन्धन तथा शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- (1) यह रजिस्ट्रीकरण जिले तक सीमित है। रजिस्ट्रीकरण 5 वर्ष तक दैर्घ्य माना जायेगा।
- (2) कालोनार्झिर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देनी होगी।
- (3) विकास कार्य प्रांतश करने के लिए प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

टिप्पणी - कालोनी का विकास उसका विकास कार्य भूखण्डों/ शवनों का विकास सिर्फ तभी ग्रिथिमान्य होगा यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गई है।

स्थान - गौहरगंज

तारीख - 04.05.2023



अनुविभागीय आधिकारी  
गौहरगंज जिला रायसेन  
गौहरगंज, जिला-रायसेन